कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

पत्रांक KVK/DUN/123 दिनांक 02/03/2026

नीलामी सूचना

पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में आम एवं लीची बाग बहार की नीलामी **दिनांकः.18.03.2026** को प्रातः 11:00 बजे आमंत्रित है। नीलामी खुली बोली के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की शर्तें तथा समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्र के कार्यालय अथवा पन्तनगर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gbpuat.ac.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी,
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

पत्रांकः KVK/DUN/124

दिनांकः 02/03/2026

नीलामी की सूचना / शर्तें

कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी मे स्थित आम तथा लीची फल बहार की बिक्री खुली बोली के माध्यम से **दिनांकः.18.03.2026** को प्रातः 11:00 बजे **कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून** में की जानी प्रस्तावित है। **इच्छुक बोलीदाता अर्नेस्टमनी डिपोजिट तथा अपने पहचान पत्र की छायाप्रति कार्यालय में दिनांकः.17.03.2026 को समय 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा कर बोली हेतु पास (अधिकृत पत्र) प्राप्त कर लें। उसके पश्चात पास नहीं दिया जायेगा। बिना अधिकृत पास के कोई भी व्यक्ति बोली बोलने हेतु अधिकृत नहीं होगा।**

1. बोली / नीलामी में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति बोली हेतु पास प्राप्त करने से पूर्व बाग का भली–भांति निरीक्षण कर लें तथा बोली हेतु पास लेते समय अपना पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी (राष्ट्रीय कृत / शैड्यूल / सहकारी बैंक की एफ0डी0 / डिमान्ड ड्राफ्ट) केन्द्र पर जमा करें। आम तथा लीची हेतु अलग–अलग बोली बोली जायेंगे तथा उनके साथ अलग–अलग पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अलग–अलग अर्नेस्ट मनी (राष्ट्रीय कृत / शैड्यूल / सहकारी बैंक की एफ0डी0 / डिमान्ड ड्राफ्ट) लगाना अनिवार्य है।
2. बोली में इच्छुक व्यक्तियों के पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी केवल व्यक्तिगत रुप से **नीलामी से एक दिन पूर्व** समय 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे **तक कार्यालय में जमा की जायेगी, तदोपरान्त उसी दिन बोली हेतु पास जारी किये जायेंगे। आम हेतु रू0 1,00,000.00 तथा लीची हेतु रू0 50,000.00 की अर्नेस्ट मनी जो कि राष्ट्रीय कृत / शैड्यूल / सहकारी बैंक की एफ0डी0 / डिमान्ड ड्राफ्ट** के रूप मे होगी तथा **प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून के नाम पर बंधक होगी,** लगाना अनिवार्य होगा। **बिना अर्नेस्ट मनी जमा किये किसी भी व्यक्ति को नीलामी मे प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा। अर्नेस्ट मनी नकद जमा नही की जायेगी।**
3. प्रथम उच्च बोलीदाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी को छोड़कर शेष की अर्नेस्टमनी नीलामी के अगले कार्यदिवस पर वापस की जायेगी।

4. अर्नेस्टमनी तथा पहचान पत्र की प्रति व्यक्तिगत रुप से स्वीकार किये जायेंगे, अन्य माध्यम से स्वीकार नही किये जायेंगे। प्रत्येक बोलीदाता को एक ही बोली लगाने का अधिकार होगा एवं बोलीदाता व्यक्तिगत रूप से स्वयं नीलामी में प्रतिभाग करेंगे।
5. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि की 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस राशि मे पहले जमा की गयी अर्नेस्ट मनी समायोजित नही की जायेगी। यदि सम्बन्धित बोलीदाता 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोलीदाता की बोली पर विचार किया जा सकता है।

   नीलामी समिति को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त नीलामी को अस्वीकृत कर दें।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना दी जायेगी तथा ठेकेदार को सूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। इस राशि मे क्रेता द्वारा पूर्व मे जमा की गयी अर्नेस्टमनी को समायोजित नही किया जायेगा। यदि क्रेता सम्पूर्ण राशि जमा करने मे असफल रहता है अथवा अवशेष राशि का कोई अंश जमा नही करता है तो शेष अंश राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। अर्नेस्ट मनी को फसल समाप्ति के पश्चात नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
7. यदि अर्नेस्टमनी के रुप में सफल बोलीदाता द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट जमा किया गया हो, तो बाग में कब्जा लेने से पूर्व उसे अर्नेस्टमनी के रुप में एफ0डी0आर0 जमा करानी होगी तथा डिमान्ड ड्राफ्ट उसे वापस कर दिया जायेगा।
8. **नीलामी शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को अपने व्यय पर रू0 100.00 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक अनुबन्ध करना होगा।**
9. नीलामी के सम्बन्ध मे किसी वाद–विवाद मे कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।
10. बाग निगरानी, बाग की सफाई, फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पंहुँचाने की दशा मे क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
12. सम्बन्धित ठेकेदार आम फल बाग बहार एवं लीची बाग बहार की प्रत्येक प्रजाति के 100–100 किग्रा0 फल केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों को केन्द्र पर आवास की सुविधा उपलब्ध नही करायी जायेगी एवं बाग में सिंचाई एवं बिजली की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी।

14. आम एवं लीची बाग पर कब्जा लेने की तिथि से फसल की समाप्ति तक मान्य होगा।

15. ठेकेदार के कब्जा लेने के समय परिसर मे कार्य पर रखने वाले मजदूरों तथा अन्य व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के कार्यालय मे जमा करना होगा।

16. यह बिक्री केवल केन्द्र के आम बाग, लीची बाग तक ही सीमित होगी, ठेकेदार या उसके कर्मियों द्वारा किसी भी दशा मे केन्द्र के आवासीय परिसर के समीप, कार्यालय मे समीप लगे फल वृक्षों से फल तुड़ाई करने पर ठेकेदार के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

17. **प्रत्येक बोलीदाताओं को बोली बोलने हेतु दिनांकः 18.03.2026 की प्रातः 11:00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी देहरादून के कार्यालय में स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा।**

प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

प्रतिलिपिः

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के सूचना पट्ट पर ।
2. नीलामी दाता ।